उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–33/2022–23

सरकार

बनाम्

अमोद कुमार

–: आदेश :–

दिनांक 14/10/22

विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी वकील को एक पक्षीय सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या–83/2022 दिनांक–23.05.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–2874/अप0शा0 दिनांक–01.08.2022 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त हाईवा निबंधन सं0–BR06GC-9057 तथा उस पर लदे स्टोन चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा निबंधन सं0–BR06GC-9057 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा निबंधन सं0–BR06GC-9057 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त हाईवा निबंधन सं0–BR06GC-9057 के मालिक अमोद कुमार, पिता–स्व0 गुल्लर साह, सा0–परसौनी मैलवार वार्ड नं0–08, थाना–सितामढ़ी परसौनी, जिला–सितामढ़ी, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त हाईवा निबंधन सं0–BR06GC-9057 एवं उस पर लदे गिट्टी

(स्टोन चिप्स) के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी को सूचना हेतु नोटिश को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया। इसके बाबजूद भी विपक्षी न तो उपस्थित हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया गया।

सरकारी वकील का कथन है कि गिट्टी (स्टोन चिप्स) परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध गिट्टी (स्टोन चिप्स) प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या–83/2022 दिनांक–23.05.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर पोड़ैयाहाट थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि हाईवा निबंधन सं0–BR06GC-9057 को स्टोन चिप्स का अवैध तरीके से परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी न तो उपस्थित हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन व्यावसायिक वाहन है। अधिक दिनों तक जप्त रखने से विपक्षी को आर्थिक क्षति होगी। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से जप्त वाहन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 41040.00 (इकतालिस हजार चालीस) रू0 जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन हाईवा निबंधन सं0–BR06GC-9057 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/10/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/10/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञा0 सं0-129
01.11.22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.12 12:12:47 +05:30
Location: 172.27.0.1